

सांगीतिक योग्यता और सांगीतिक अभिरुचि

डॉ. श्रुति होश

असिस्टेंट प्रोफेसर, पी.जी.जी.सी.जी., सैक्टर-11, चण्डीगढ़

योग्यता शब्द का अर्थ—सामान्यता योग्यता शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत अर्थ में लिया जाता है। किसी भी व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि उसकी योग्यता क्या है तो वह उसका प्रत्युत्तर स्वयं के द्वारा प्राप्त की गई योग्यताओं के सम्बन्ध में ही देता है। जैसे वह B.A. है M.A. है L.L.B. है आदि। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति प्रायः योग्यता से ही लेते हैं किन्तु अर्जित योग्यता के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अन्य योग्यता भी होती है जो कि उसे जन्म से ही प्राप्त होती है। ऐसी योग्यताओं को हम मूल योग्यताओं के अन्तर्गत मानते हैं। इन मूल योग्यताओं को व्यक्ति विकसित कर पाता है या नहीं। यह एक निर्विवाद सत्य है कि व्यक्ति में कुछ मूल योग्यताएं होती हैं और कुछ अर्जित।

सांगीतिक मूल योग्यता का अर्थ— सांगीतिक मूल योग्यताओं से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति में जन्मत कुछ सांगीतिक योग्यताएं होती हैं जो कि बिना किसी प्रशिक्षण के उसमें विद्यमान रहती है जैसे कोई ध्वनि ऊँची है या नीची है जोर से है या धीमे है। वह ध्वनि किस व्यक्ति में स्वतः ही होती है। इन्हीं योग्यताओं को सांगीतिक भाषा में ब्रह्मशः तारता विभेद, तीव्रता विभेद व नाद की जाति अथवा गुण पहचानने की योग्यता कहा जाता है। यद्यपि इन योग्यताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक विकसित व परिष्कृत किया जा सकता है परन्तु ये योग्यताएं व्यक्ति की मूल योग्यताओं के अन्तर्गत ही आती हैं।

सांगीतिक अर्जित योग्यता का अर्थ— संगीत की अर्जित योग्यताओं का अर्थ उन योग्यताओं से है जो प्रशिक्षण के माध्यम से या अपने प्रयत्नों द्वारा या अन्य किसी माध्यम से कोई भी व्यक्ति अर्जित करता है। जैसे स्वरलिपि की योग्यता राग पहचानने की योग्यता आदि ऐसी सांगीतिक योग्यताएं हैं जो कि व्यक्ति में जन्मतः विद्यमान नहीं हो सकती। इन योग्यताओं को वह सीखने के पश्चात् ही प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत सांगीतिक योग्यता, सांगीतिक चिन्ह ज्ञान की योग्यता, राग पहचानने की योग्यता व पुनरुत्पादन की योग्यताओं को संगीत की अर्जित योग्यताओं के अन्तर्गत माना जाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सांगीतिक योग्यता का अर्थ किसी एक योग्यता से नहीं है जैसे कि किसी में लय सम्बन्धी योग्यता है तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि उसमें सांगीतिक योग्यता है तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि उसमें सांगीतिक योग्यता है वरण यह होगा कि उसमें केवल लय सम्बन्धी योग्यता है। सांगीतिक योग्यता से तात्पर्य संगीत सम्बन्धी बहुत सी योग्यताओं से होता है जैसे कि सांगीतिक सामान्य ज्ञान, सांगीतिक चिन्हज्ञान, स्वरलिपि, तारता विभेद, तीव्रता विभेद, नाद की जाति अथवा गुण स्वर समृद्धि, लय, राग पहचानना, पुनरुत्पादन आदि।

संगीत को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए उपरोक्त योग्यताओं का होना आवश्यक है और यह सभी योग्यताएं जब किसी विद्यार्थी में उच्च शिक्षा के लिए सांगीतिक योग्यता मानी जाएगी।

सांगीतिक योग्यता में वशानुगत व वातावरण की भूमिका के विषय में सभी विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वान् सांगीतिक योग्यता को पूर्णतः वंशानुगत मानते हैं जबकि अन्य कुछ विद्वान् सांगीतिक योग्यता को वातावरण की देन बताते हैं व कुछ विद्वान् दोनों का ही सांपेक्ष योगदान मानते हैं।

वंशानुगत सांगीतिक योग्यता— सांगीतिक योग्यता को वंशानुगत मानने वाले विद्वान् इस योग्यता को जन्मजात मानते हैं। उनका कथन है कि इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। ऐसे विद्वान् संगीतज्ञों के परिवारों के अध्ययन के आधार पर अपने कथन की पुष्टि करते हैं।

वातानुकूल योग्यता— दूसरी ओर सांगीतिक योग्यता पर वातावरण का अधिक महत्व बताने वाले विद्वानों का कथन है कि बालक के सांगीतिक रुझान का सीधा सम्बन्ध सांगीतिक वातावरण से जुड़ा हुआ है और वातावरण से ही सांगीतिक योग्यता विकसित होती है।

एक वंश में माता पिता व उनके बालकों, दादा-दादी व पोते-पोती में खून का सम्बन्ध विशेष रूप से देखा जा सकता है और इसी से उसमें समान गुण भी पाये जाते हैं। यह पारिवारिक समानता केवल शारिरिक रूप से ही सीमित नहीं होती बल्कि मानसिक गुणों में भी होती है जैसे— स्वभाव, बुद्धि, प्रतिभा, व व्यक्तित्व के गुणों में एक वंश के लोगों में समानता पायी जाती है। वस्तुतः वंश परम्परा के द्वारा ही छिपे हुए सम्मान गुण व योग्यता अगली पीढ़ियों में स्थानान्तरित होते हैं। इस सिद्धान्त के आधार पर विद्वानों में सांगीतिक योग्यता को वंशानुगत माना है जैसा कि Hurst के अनुसार— जब माता पिता दोनों सांगीतिक होते हैं तो उनके सभी बालकों में सांगीतिकता पाई जाती है और जब दोनों में से कोई भी सांगीतिक नहीं होता है तो उनके कुछ बालक ही सांगीतिक पाये जाते हैं अथवा कोई भी बालक नहीं होता है। यदि माता-पिता दोनों में से कोई एक सांगीतिक है तो उनका कोई भी बालक सांगीतिक नहीं होगा या उनके बालकों में 50 प्रतिशत सांगीतिकता होगी। ल्वसजद ने 300 परिवारों के 997 व्यक्तियों पर अपने प्रणिक्षण करके यह बताया कि सांगीतिक गुण एक के बाद एक परिवारों में आता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सांगीतिक नाते भी वंशनुगन होती है।

Amram Scheunfield ने अपनी पुस्तकें You and Her duty के प्रथम संस्करण में अपने अध्ययन से यह बताया है कि माता-पिता दोनों जब प्रतिभावान होते हैं तो उनके बच्चों में 70% सांगीतिक प्रतिभा होती है। जहाँ माता पिता दोनों में से एक सांगीतिक प्रतिभा रखता है तो उनके बच्चों में 60% सांगीतिक प्रतिभा होती है और जहाँ माता पिता दोनों में से कोई भी सांगीतिक प्रतिभा नहीं रखता वहाँ उनके बच्चों में 15% ही सांगीतिक प्रतिभा होती है।

According to Schoen, “Musical talent is first an inborn capacity; Artistic Musical performance rests ultimately on innate inborn equipment. According to seaschore, “Not only is the gift of Music itself inborn, but it is inborn in specific types.”

कई विद्वान् वातावरण से अधिक महत्वपूर्ण वंश परम्परा को मानते हैं। पाश्चात्य संगीतज्ञों पर अध्ययन करने पर सांगीतिक योग्यता में वंशानुगत के महत्व पर अधिक बल दिया है।

भारतीय संगीतज्ञों— उस्ताद विलायत खां (सितारवादक) उस्ताद अमजद अलीखां (सरोद वादक) उस्ताद अब्दुल करीम खां (गायक) आदि अनेक संगीतज्ञ भी इसी परम्परा के अन्तर्गत आते हैं।

संगीतिक योग्यता के लिए वंश परम्परा को ही पूर्णतया महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। सांगीतिक योग्यता को विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण का होना भी अनिवार्य है।

संगीतिक योग्यता चाहे वंश परम्परा से मिली है किन्तु यदि अनुकूल वातावरण न दिया जाए तो उसकी वह योग्यता विकसित नहीं हो पाएगी क्योंकि बच्चे की सांगीतिक रूचि का सीधा सम्बन्ध संगीतिक वातावरण से जुड़ा हुआ है। वंशानुकूल की दृष्टि से संगीतज्ञों की जीवनियों पर किए गए अध्ययन भी वातावरण के महत्व को बढ़ावा देने का समर्थन करते हैं न कि सांगीतिक योग्यता पूर्णतः वंशानुगत है। इस सिद्धान्त का अर्थात् Reynolds का मानना है कि जिस सांगीतिक योग्यता वंशानुगत प्राप्त हुई है उसे वातावरण तो घर में स्वतः ही प्राप्त होता है इसलिए सांगीतिक योग्यता पर साकारात्मक रूप से वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यदि सांगीतिक योग्यता में वंशानुगत व वातावरण को समान रूप से नहीं माना जाए तो किसी निश्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता यदि किसी में सांगीतिक योग्यता जन्मतः है फिर भी उसे विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण अनिवार्य है। वस्तुतः सांगीतिक योग्यता में वंश परम्परा व वातावरण दोनों का सापेक्ष महत्व है। अतः जिस व्यक्ति को सांगीतिक वंश परम्परा व अनुकूल वातावरण दोनों मिलते हैं तो वह उच्च कोटि का संगीतज्ञ बन सकता है।

उनको विकसित किया जाए, कैसे एक रूप में अनेक रूपों का समन्वय किया जाए कि उसकी मौलिकता नष्ट न हो सके। कैसे विभिन्न तथ्यों का एकीकरण करके उनमें अनुरूपता लाई जाए, कैसे उसके विभिन्न रूपों को एक सूत्र में पिरोया जाए किस प्रकार प्राचीन और नवीन पद्धतियों व शैलियों को आधुनिक सांचे में ढालकर उनकी अभिवृद्धि की जाए और किस प्रकार नए राग, नई बन्दिशें और नई कल्पनाओं को जनन दिया जाए—आदि अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं को वहीं संगीतज्ञ सुन्दर ढंग से सुलझा सकता है जिसने मूल तत्वों का भली-भांति अध्ययन किया हो और उसका अनुकूल आचरण भी करता है। इनसे सम्बन्धित अच्छी पुस्तकों को खोजकर पढ़ना सांगीतिक योग्यता, रूचि एवं प्रतिभा को चार चाँद लगा देता है तथा सांगीतिक ज्ञान की मात्रा बढ़ती है।

गोष्ठियों का महत्व—सांगीतिक जीवन को प्रतिभाशाली एवं गौरवपूर्ण बनाने के लिए गोष्ठियों का अपना मूल्य है। गोष्ठियों के अवसर पर अनेक कलाकारों का मिलन होता है, विचार विमर्श होता है और कला का परस्पर आदान—प्रदान होता है और संगीतकारों के वातावरण में एक नूतन चेतना का सृजन हो जाता है जो कि उनके विकास का प्रतीक बनती है। यदि इनमें संगीतज्ञ भाग नहीं लेते तो सांगीतिक ज्ञान की परिधि सीमित रह जाएगी। यह उनके विकास का प्रकाशदीप है। संगीतकार के विशाल जीवन में गोष्ठियां लहरों के समान हैं जो उसके जीवन में प्रवाह लाती रहती हैं। बिना प्रवाह

के जीवन का क्या मूल्य ? प्रवाहपूर्ण जीवन ही जीवन है। इन गोष्ठियों को संगीतकारों के जीवन का मार्गचिन्ह भी कह सकते हैं, क्योंकि यही से उनकों अपनी कला के सन्तुलन का सही पता चलता है। यह उनकी कला कसौटी पर चढ़ाई जाती है। कसौटी पर चढ़ने के बाद ही कला की स्थिति का पता चलता है और सही दिशा का ज्ञान होता है तथा मौलिक सभ्याव भी मिल सकते हैं। अतः हम कहते वेश परम्परा यद्यपि आघात है किन्तु वह विकसित योग्यता तब तक नहीं बन सकती जब तक अनुकूल वातावरण न मिले। सांगीतिक योग्यता एवं रूचि दोनों सफल संगीतज्ञ के लिए अति आवश्यक है।

संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए संगीत की मूल योग्यता व अर्जित योग्यता को आवश्यक मानते हुए निम्नलिखित दस योग्यताएं मानी जाती हैं:-

- संगीत सामान्य ज्ञान
- सांगीतिक चिन्ह ज्ञान
- स्वर लीपि
- तारता विभेद
- तीव्रता विभेद
- नाद की जाति एवं गुण
- स्वर स्मृति
- लय
- राग पहचानना
- पुनरुत्पादक

उपर्युक्त 10 योग्यताओं में से तारता विभेद, तीव्रता विभेद व नाद की जाति एवं गुण की योग्यता को संगीत की मूल योग्यता के अन्तर्गत माना है और इन तीनों योग्यताओं की परख करने पर भी ये परीक्षण सांगीतिक मूल योग्यता के परीक्षण ही सिद्ध हुए हैं। शेष सात परीक्षणों को संगीत की अर्जित योग्यता के अन्तर्गत माना है। यह सभी योग्यताएं जब किसी विद्यार्थी में निश्चित परिमाण में पार जाएगी तभी उसमें संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता मानी जाएगी।

गुरु शिष्य परम्परा- प्राचीन काल से ही विश्व के प्रायः सभी देशों में संगीत में किसी न किसी रूप में सांगीतिक योग्यता परीक्षण विद्यमान रहे हैं। भारतीय संगीत की प्राचीन गुरु-शिष्य परम्परा में भी गुरु अपने शिष्य बनाने से पूर्व एक प्रकार का सांगीतिक योग्यता परीक्षण करते थे जिसने वह

मुख्य रूप से यह देखते थे कि शिष्य में संगीत के संस्कार स्वर ज्ञान, लय ज्ञान, सांगीतिक स्मृति जैसे संगीत के आधारभूत गुण था। संगीत की प्रतिभा है अथवा नहीं इसके पश्चात् ही वह किसी को अपना शिष्य बनाते थे। भारतीय संगीत में अनेकानेक ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन में भी सांगीतिक प्रतिभा को देखकर ही स्वामी हरीदास जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया था। धीरे-धीरे सांगीतिक योग्यता परिक्षणों का विकास हुआ और वर्तमान समय में सांगीतिक योग्यता का मापन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जा रहा है। इसके सांगीतिक योग्यता परीक्षण बैटरी निर्मित हो रही है। किन्तु भारत में ऐसे सांगीतिक योग्यता परिक्षण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि पाश्चात्य संगीत में योग्यता परिक्षणों को एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। पाश्चात्य संगीत का विकास समूह में हुआ है अर्थात् पाश्चात्य संगीत व्यक्ति प्रधान न होकर समूह प्रधान रहा है। किन्तु फिर भी संगीत शिक्षक विद्यार्थी में संगीत के कुछ विशिष्ट गुण या योग्यता के परीक्षण के पश्चात् ही उसे संगीत का शिक्षण देते हैं।

सांगीतिक योग्यता एवं प्रतिभा के साथ-साथ संगीत का पूर्ण रूपण शास्त्रीय ज्ञान एक कुशल संगीतज्ञ बनाने में सहायक होता है। व्यवहारिक ज्ञान का विकास शास्त्रीय ज्ञान पर ही आधारित है। विधिवत् अध्ययन के बिना सांगीतिक प्रतिभा भी अधूरी रह जाती है। अध्ययन करते समय अपना दृष्टिकोण उदार एवं विशाल बनाना चाहिए। प्रायः कई बार देखा जाता है कि कई बार मनुष्य में सांगीतिक प्रतिभा, योग्यता और सुन्दर अलम्य अनुभव है, किन्तु वह उन अनुभवों को प्रस्तुत करने की कला से पूर्ण अनभिज्ञ होते हैं इसलिए वह संगीत को शाश्वत नहीं बना पाते और न ही लोकप्रिय ही बना पाते हैं। संगीत को किस प्रकार गुलदस्ते के समान काट-चांट कर दुरुस्त किया जाए, कैसे खटके और मुर्की का प्रयोग अधिकतर ठुमरी, दादरा, टप्पा आदि में सुनने का मिलता है।